दिनांक 20.08.08 को नवादा जिला बाल श्रम परियोजना समिति की संपन्न बैठक की कार्यवाही।

आज दिनांक 20.08.08 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में नवादा जिला *बाल श्रम परियोजना समिति की बैठक* श्री योगेन्द्र भक्त (भा०प्र०से०), *जिला पदाधिकारी, नवादा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी,* जिसमें निम्न हस्ताक्षरित पदाधिकारी, सदस्य एवं संचालक, बाल श्रम विद्यालय उपस्थित हुये एवं *निम्नांकित प्रस्ताव पारित किया गया :*

उपस्थिति :— यथा पंजी।

1. नवादा जिला में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना नई दिल्ली एवं श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के निदेश के आलोक में *दिनांक 01 जुलाई, 2008 से 88 (अट्ठासी) बाल श्रमिक विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रारम्भ किया गया है।*

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, बाल श्रम परियोजना समिति, नवादा द्वारा ससमय *बाल श्रमिक विद्यालयों का संचालन प्रारंभ करने में सहयोग हेतु सभी पदाधिकारियों/ सदस्यों एवं गैर सरकारी संस्थाओं की प्रशंसा की गई एवं धन्यवाद ज्ञापन किया गया।*

2. सभी उपस्थित गैर सरकारी संस्थाओं (बाल श्रमिक विद्यालयों के संचालकों) को एक प्रपत्र हस्तगत कराया गया एवं उन्हें निदेश दिया गया कि बाल श्रमिक विद्यालयों से संबंधित सूचनायें इस *प्रपत्र में भरकर बाल श्रम परियोजना कार्यालय, नवादा में जमा कर दें।*

(अनुपालन :— बाल श्रमिक विद्यालयों के संचालक)

3. बाल श्रमिक विद्यालयों का समय सारणी क्या हो, इस बिन्दु पर विचार विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि *ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित सभी विद्यालयों का सोमवार से शनिवार तक समय 9.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक होगा।*

(क) *भोजन एवं अल्पाहार का समय 12.00 बजे मध्याह्न से 1.00 अपराह्न तक रहेगा।*

(ख) *2.00 बजे अपराह्न के पश्चात् विद्यालय प्रबंधन सभी बच्चों के लिए खेल कूद का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित करेंगे।*

(अनुपालन :— बाल श्रमिक विद्यालयों के संचालक)

(ग) बाल श्रमिक विद्यालय के परियोजना निदेशक को जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा विद्यालय के शिक्षकों/कर्मियों के आकस्मिक /अर्जित अवकाश के संबंध में एक कैलेन्डर तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि शिक्षकों एवं कर्मियों को समय-समय पर अवकाश लेने में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये।

(अनुपालन :— परियोजना निदेशक)

(घ) जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा बच्चों के पठन-पाठन सही ढंग से संपादित करने के लिए प्रत्येक बाल श्रमिक विद्यालयों के छात्रों को तीन कक्षाओं में विभाजित करने का निदेश दिया गया। *कुल 50 छात्रों में से एक-एक तिहाई को एक-एक शिक्षक के साथ संबद्ध किया जाय,* जो उस छात्र ग्रूप के *अभिभावक शिक्षक* कहलायेंगे एवं उनके कार्यकलाप, आचारण, स्वास्थ्य, उपस्थिति, प्रगति आदि का लेखा-जोखा एवं ध्यान रखेंगे।

(अनुपालन :— बाल श्रमिक विद्यालयों के संचालक)

4. संचालकों द्वारा यह बात उठायी गयी कि बरसात के मौसम में कोयला या लकड़ी से बच्चों के भोजन तैयार करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संचालकों द्वारा ईंधन समस्या के समाधान हेतु प्रत्येक विद्यालय में दो सिलिन्डर के एल०पी०जी० गैस कनेक्शन की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया।

आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि विद्यालय संचालक अपने क्षेत्र के गैस वितरकों यथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन या इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन के यहाँ विहित प्रपत्र में आवेदन

Scanned with CamScanner

पत्र जमा करेंगे, तत्पश्चात् गैस एजेंसी के वितरकों/प्रोपराईटरों को गैस कनेक्शन आवंटित करने लिया जायेगा।

(अनुपालन : संचालक, परियोजना निदेशक,

5. बाल श्रमिक विद्यालयों के बच्चों/शिक्षकों/कर्मियों के मानदेय भुगतान पर विचार विमर्श किया गया। संचालकों द्वारा बताया गया कि संबंधित बैंकों में खाता खोलने में काफी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। *निदेश दिया गया कि स्थानीय पोस्टऑफिस में सभी संबंधित लोगों के खाते यथाशीघ्र खोलकर सूची भेजें।*

(अनुपालन : संचालक, प्रधान डाकपाल, पोस्टऑफिस, नवादा)

6. बच्चो के स्वास्थ्य की जांच के संबंध में विचार विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि *जो विद्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र से एक किलोमीटर के निकट हैं,* वहाँ के संचालक महीने में एक बार *सभी बच्चों को प्रा0 स्वा0 केन्द्र में ले जाकर स्वास्थ्य की जांच अनिवार्य रूप से करायेंगे।* जो विद्यालय दूर हैं, वहाँ के संचालक अपने क्षेत्र के प्रा0 स्वा0 केन्द्र अथवा अति प्रा0 स्वा0 केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से सम्पर्क कर उन्हें *महीना में एक बार* विद्यालय में *लायेंगे* तथा *सभी बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण अनिवार्य* रूप से करायेंगे। सिविल सर्जन कृपया समुचित आदेश निर्गत करेंगी।

रजौली अनुमंडल क्षेत्र मे *सुदूर क्षेत्रों में* संचालित विद्यालय के *संचालक* को निदेश दिया गया कि वे *अपने स्तर से चिकित्सक की व्यवस्था कर महीने में एक बार बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करायेंगे।* इसके लिए चिकित्सक को पारिश्रमिक का भुगतान बाल श्रम परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

सभी बच्चों को ***Health Card*** *जारी करने पर भी विचार--विमर्श* किया गया। निर्णय लिया गया कि *सिविल सर्जन, नवादा से स्वास्थ्य जांच संबंधी सभी बिन्दुओं पर* इसके लिए *आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध* किया जायेगा।

(अनुपालन : सिविल सर्जन, नवादा)

7. *बाल श्रम विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे बी0पी0एल0 परिवार से आते हैं,* अतः आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि *वैसे बच्चों के माता पिता को भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं यथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन/इन्दिरा आवास/लाल कार्ड/पीला कार्ड इत्यादि से सीधे जोड़ा जाये एवं उन्हें लाभ प्रदान हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाये ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके।* इस कार्य में संचालकों का सहयोग लिया जायेगा। परियोजना निदेशक कृपया पर्याप्त संख्या में इन योजनाओ का आवेदन पत्र संचालकों को उपलब्ध करायेंगे एवं इस कार्य को पूरा करायेंगे।

(अनुपालन :– संचालक, परियोजना निदेशक, बाल श्रमिक विद्यालय संचालक)

8. सभी विद्यालय संचालकों को बताया गया कि उन्हें अपने विद्यालय से संबंधित एक *मासिक विवरणी (**Monthly Statement**) तैयार कर परियोजना कार्यालय में देनी होगी।* इसके लिए बाल श्रम परियोजना कार्यालय से सभी *संचालकों को विहित प्रपत्र उपलब्ध कराया जायेगा।*

(अनुपालन :– विद्यालय संचालक, परियोजना निदेशक)

9. सभी बाल श्रम विद्यालयों के निरीक्षण पर विचार--विमर्श किया गया। इसके लिए *एक निरीक्षण टीम गठित की जायेगी।* विद्यालयों का निरीक्षण किन-किन बिन्दुओं पर किया जायेगा इसके लिए *परियोजना निदेशक एक प्रपत्र एवं आवश्यक दिशा–निदेश तैयार कर जिला पदाधिकारी महोदय से अनुमोदित करा लेंगे।*

(अनुपालन : परियोजना निदेशक)

Scanned with CamScanner

10. बाल श्रम विद्यालयों के सुचारू एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु विचार विमर्श एवं परामर्श के लिए एक तीन सदस्यीय कोर ग्रुप के गठन का निर्णय लिया गया। कोर ग्रुप में निम्नांकित संचालकों को रखने का निर्णय लिया गया।

1. श्री एम0पी0सिन्हा - जनहित विकास समिति, नवादा।
2. श्री हरिकान्त झा - निशा सिलाई एवं बुनाई केन्द्र, बिहार शरीफ (नालन्दा)।
3. श्री राम कुमार सिन्हा - सृष्टि इन्टरनेशनल, पटना।

यह कोर ग्रुप समय-समय पर *विद्यालयों के समग्र विकास हेतु अपने परामर्शों एवं समुचित प्रस्तावों से जिला पदाधिकारी महोदय एवं परियोजना निदेशक को अवगत कराते रहेंगे।* समय-समय पर परियोजना में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन में सहयोग करेंगे।

(अनुपालन :- कोर ग्रुप में शामिल संचालक)

11. बाल श्रम विद्यालयों में *चयनित शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विचार किया गया।* निर्णय लिया गया कि बिहार शिक्षा परियोजना समन्वयक सह जिला शिक्षा अधीक्षक के सहयोग से यह प्रशिक्षण जिले के एक या दो स्थानों पर आयोजित किया जायेगा। *प्रथम प्रशिक्षण एक हप्ते का होगा। फिर हर तीन या चार माह पर **Refresher Training** तीन दिनों की सबों को दी जायेगी।* एक समय में किसी विद्यालय के तीन में से एक शिक्षक भाग लेंगे। *प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय होगा।*
(अनुपालनः-बिहार शिक्षा परि0 समन्वयक सह जिला शिक्षा अधीक्षक, नवादा, विद्या0 संचालक)

12. बाल श्रम परियोजना के तहत जागरूकता (Awareness Generation) के लिए उपलब्ध राशि के सदुपयोग पर विचार-विमर्श किया गया। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इसके लिए नियमित रूप से निम्नांकित कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

(क) दीवाल लेखन
(ख) नुक्कड़ नाटक का आयोजन
(ग) हैण्डवील/पोस्टर की छपाई एवं वितरण

बाल श्रम समाज के लिए एक अभिशाप है तथा बाल श्रमिकों से श्रम कराना कानूनी रूप से संज्ञेय अपराध भी है।

अतः आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार एक अभियान के तहत किया जाये तथा हैण्डवील/पोस्टर में बाल श्रम अधिनियम के संबंधित प्रावधानों एवं दण्ड का स्पष्ट उल्लेख हों। इस अभियान को मूर्तरूप देने हेतु विद्यालय के संचालक एवं श्रम प्रर्वतन पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिये गयें।

(अनुपालनः- विद्यालय के संचालक एवं श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी)

13. नवादा जिला के सभी 88 श्रम विद्यालयों में निर्धारित संख्या में 50 50 बच्चों को नामांकन किया गया है। फिर भी आज की बैठक में यह बात प्रकाश में आयी कि *अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे विद्यालय की सुविधा से वंचित हैं।*

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नवादा जिला में कार्यरत बाल श्रमिक विद्यालय के संचालक संस्थाओं से ऐसे *बाल श्रमिकों का पुनः गहन सर्वेक्षण कराया जाये।* परियोजना निदेशक, बाल श्रम परियोजना कार्यालय, नवादा सभी श्रम प्रर्वतन पदाधिकारियों को सर्वेक्षण कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु प्रखंड आवंटित करेंगे। *यह कार्य माह सितम्बर, 08 में करा लिया जायेगा* एवं अक्टूबर में अतिरिक्त बाल श्रमिक विद्यालयों की स्वीकृति हेतु सरकार को लिखा जायेगा।

(अनुपालन :- विद्यालय संचालक, श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी)

14. बाल श्रम विद्यालयों के बच्चे सामान्य या निजी विद्यालयों के बच्चों के समान दिखें, उनमें हीन भावना न आये, इस हेतु इन्हें भी न्यूनतम आवश्यक सामग्रियाँ उपलब्ध कराने पर विचार हुआ। सभी श्रम विद्यालयों के *बच्चों को एक समान एक कीट, बैग उपलब्ध कराने पर विचार-विमर्श* किया गया।

Scanned with CamScanner

इस बैग में कॉपी, किताब, पेन्सिल, स्लेट, रस्सी कूद एवं अन्य आवश्यक पठन पाठन सामग्रियाँ उपलब्ध रहेंगी।

सभी ... विद्यालयों को सुसज्जित करने एवं पठन पाठन का समुचित वातावरण तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया गया। सभी विद्यालयों में प्रत्येक वर्ग कक्षा में अक्षरमाला /वर्णमाला/भारत एवं बिहार का नक्शा तथा ग्लोब प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया। ये सारी व्यवस्थायें इसी माह से प्रारंभ करने हेतु निर्णय लिया गया।

विद्यालयों के संचालकों द्वारा यह बात उठायी गयी कि इन व्यवस्थाओं को लागू करने हेतु आवश्यक राशि की उपलब्धता बहुत कम है।

अतएव आज की बैठक में संचालकों के अनुरोध पर निर्णय लिया गया कि इसे लागू करने हेतु समाज के उदार वर्ग, व्यवसायियों को प्रोत्साहित किया जाये तथा उनके द्वारा इसे प्रायोजित कराया जाये। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई एवं संचालकों से ऐसे उदारशील एवं समाज सेवी लोगों को आगे लाने हेतु निदेश दिया गया। बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना से अनुरोध किया जायेगा।

(अनुपालन : विद्यालय संचालक)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(ह०) 20/8/08

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
बाल श्रम परि० स०, नवादा।

ज्ञापांक 290 /बाल श्रम, दिनांक 25 वीं अगस्त, 2008 ई० ।

प्रतिलिपि : सभी संचालक NGO's बाल श्रमिक विद्यालय, नवादा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, नवादा / अपर समाहर्ता, नवादा / अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर / रजौली/ सभी प्र० वि० पदा०, नवादा जिला / श्रम अधीक्षक, नवादा / सभी श्रम प्रवर्तन पदा०, नवादा जिला को सूचनार्थ एवं निर्देशों के कार्यान्वयनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक सह मु० चि० पदा०, नवादा / सभी प्रभारी चिकित्सा पदा०, प्रा० स्वा० केन्द्र/ अति० प्रा० स्वा० केन्द्र, नवादा, जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(ह०) 20/8/08

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
बाल श्रम परि० स०, नवादा।

ज्ञापांक 290 /बाल श्रम, दिनांक 25 वीं अगस्त, 2008 ई० ।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

(ह०) 20/8/08

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
बाल श्रम परि० स०, नवादा।

Scanned with CamScanner